

बाहर होने पत्रावली दिनांक २०२०/०५/२०

०५.०९.२०२० पत्रावली पेश। अधिवक्ता वार्दी उपस्थित।
अधिवक्ता वार्दी द्वारा पत्रावली को
जरिये नोटिस खारिज करने का
निवेदन किया। अधिवक्ता वार्दी के
मौखिक निवेदन पर पत्रावली जरिये
नोटिस के खारिज की जाती है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर मम्बर
से कम की जाकर काबिल दाखल है।

सहायक कलेक्टर एवं कांस्टेबल/मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) साचौर (जालौर)

Not Press
15/2

